



Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
National Institute of Communication Finance
Mehrauli Gurugram Road, Ghitori, New Delhi-110047

No: 1-151/NICF/TAR/Webinar on SexualHarassment/2024-25

Dated. 19.07.2024

To,

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. The CGCA, UIDAI Building, New Delhi | 2. Advisor(F), DoT HQ, New Delhi |
| 3. Secretary, TRAI, New Delhi | 4. DG, NTIPRIT, Ghaziabad |
| 5. Sr. DDG (PAF), DoP HQ, Delhi | 6. All Pr. CsCA/CsCA/GMs(F)/DAPs |
| 7. Sr. DDG, TEC | 8. CMD, BSNL, New Delhi |
| 9. CMD, MTNL, New Delhi. | 10. DG, TSDSI, New Delhi |
| 11. ED, C-DoT, Delhi | 12. Director, BBNL, New Delhi |
| 13. Director, WMTDC, Ghitori, New Delhi | 14. Deputy General Manager, TCIL |
| 15. Deputy General Manager, ITI | |

Subject: - Conducting Webinar on “Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act.2013)” at NICF -reg

The National Institute of Communication Finance, the apex level Central Training Institute of Ministry of Communications, is going to conduct Webinar on “Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013)” for all Officers/Officials of DoT/ DoP (PA Wing & PAOs). The schedule of Webinar is as under: -

S. No.	Topic	Date & Timing	Name of Faculty
1.	Sexual Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013)	29.07.2024 (11.00 AM to 01.00 PM)	Ms. Namrata Chadha, Advocate

Introduction	Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013): An Act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.
Learning Objectives	Specific training on Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013) – SHAW Act 2013 is <u>mandatory</u> for every organization in India. <ul style="list-style-type: none"> This training improves an employee’s understanding, realization and quality of workplace culture.

	<ul style="list-style-type: none"> • It improves an individual's level of awareness which help them identify and differentiate between appropriate/ non appropriate behaviours at workplace. • It also educates them on the legal aspects of this act.
Target Population	All Officers/Officials of DoT / DoP (PA Wing & PAOs)
Last date of receipt of nominations	25.07.2024
Course Director Course Coordinator Dy. Course Coordinator	Ms. Pooja Gupta, Director (TAR) Sh. Ashwani Kumar, AO (PAO & Gr. B Trg.) Sh. Gadadhar Rath, AAO(Gr.B Trg & PAO)
Number of participants	At least two nominations from each unit.


All the units of DoT and DoP viz CGCA, CsCA, GMs (Finance), DsAP office, SEA/DoT HQ and PAF/DoP HQ, PSUs and various organizations associated with DoT/DoP are requested to nominate suitable officers for the webinar within the stipulated time as mentioned above.

The controlling offices are requested to provide details of nominated officers viz name, designation, mobile number, email address etc.

All the nominations are to be addressed to Director (TAR), O/o DG, NICF, Opp. Metro Pillar No. 152, Mehrauli Gurugram (MG) Road, Ghitorni, New Delhi – 110047 or at email address **nicf.moc@gov.in**.

In case of any query/clarification, Sh. Gadadhar Rath, Dy. Course Coordinator (Mobile No. 9437160036) may be contacted.

This issues with the approval of the competent authority.


(Ashwani Kumar)
AO, NICF

Copy to:

1. PA to DG, NICF, Ghitorni, New Delhi-110047.
2. Director Trg. Finance, DoT HQ, for kind information.
3. Director, TER, NICF, for nomination and uploading of circular on NICF Website.
4. Faculty of webinar.
5. Office copy.



भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान
महरौली गुरुग्राम रोड, घिंटोरनी, नई दिल्ली-110047

क्रमांक: 1-151/ रा.सं.वि.सं./टीएआर/यौन उत्पीड़न पर वेबिनार/2024-25

दिनांक 19.07.2024

सेवा में,

1. संचार लेखा महानियंत्रक, यूआईडीएआई बिल्डिंग, नई दिल्ली
2. सलाहकार (वित्त), डीओटी मुख्यालय, नई दिल्ली
3. सचिव, टीआरएआई, नई दिल्ली
4. महानिदेशक, एनटीआईपीआरआईटी, गाजियाबाद
5. वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीएएफ), डीओपी मुख्यालय, नई दिल्ली
6. सभी प्रधान संचार लेखा नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रक/ महाप्रबंधक (वित्त)/डाक लेखा निदेशक
7. वरिष्ठ उप महानिदेशक, टीईसी
8. मुख्य प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल, नई दिल्ली
9. मुख्य प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल, नई दिल्ली
10. महानिदेशक, टीएसडीएसआई, नई दिल्ली
11. कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट, दिल्ली
12. निदेशक, बीबीएनएल, नई दिल्ली
13. निदेशक, डब्ल्यूएमटीडीसी, घिंटोरनी, नई दिल्ली
14. उप महाप्रबंधक, टीसीआईएल
15. उप महाप्रबंधक, आईटीआई

विषय: - राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013)" पर वेबिनार के आयोजन - संबंधित

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान, संचार मंत्रालय के शीर्ष स्तर का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दूरसंचार विभाग/डाक विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013)" पर वेबिनार आयोजित करने जा रहा है। वेबिनार का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है:-

क्रमांक	प्रसंग	दिनांक और समय	संकाय का नाम
1.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013)	29.07.2024 (11.00 पूर्वाह्न से 01.00 अपराह्न तक)	सुश्री नम्रता चड्ढा, अधिवक्ता

परिचय	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013): कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।
सीखने का उद्देश्य	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशिष्ट प्रशिक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) - एसएचएडब्ल्यू अधिनियम 2013 भारत में प्रत्येक संगठन के लिए अनिवार्य है। <ul style="list-style-type: none"> • यह प्रशिक्षण कर्मचारी की कार्यस्थल संस्कृति की समझ, अहसास और गुणवत्ता में सुधार करता है। • यह व्यक्ति की जागरूकता के स्तर में सुधार करता है जो उन्हें कार्यस्थल पर उचित/गैर उचित व्यवहारों के बीच पहचानने और अंतर करने में मदद करता है। • यह उन्हें इस अधिनियम के कानूनी पहलुओं पर भी शिक्षित करता है।
लक्ष्य जनसंख्या	दूरसंचार विभाग/ डाक विभाग (पीए विंग और पीएओ) के सभी अधिकारी/कर्मचारी
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25.07.2024
पाठ्यक्रम निदेशक	सुश्री पूजा गुप्ता, निदेशक (टीएआर)
पाठ्यक्रम समन्वयक	श्री अश्वनी कुमार, लेखा अधिकारी (गुप बी प्रशिक्षण)
उप. पाठ्यक्रम समन्वयक	श्री गदाधर रथ, सहायक लेखा अधिकारी (गुप बी प्रशिक्षण)
प्रतिभागियों की संख्या	प्रत्येक इकाई से कम से कम दो नामांकन।

दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के सभी कार्यालय जैसे संचार लेखा महानियंत्रक, प्रधान संचार लेखा नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रक, महाप्रबंधक (वित्त), डाक लेखा निदेशक, एसईए/ दूरसंचार विभाग मुख्यालय और पीएएफ/ डाक विभाग मुख्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और दूरसंचार विभाग/डाक विभाग से जुड़े विभिन्न संगठनों से वेबिनार के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर नामित करने का अनुरोध किया जाता है।

नियंत्रण कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे नामांकित अधिकारियों का विवरण जैसे नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि प्रदान करें।

सभी नामांकन निदेशक (टीएआर), कार्यालय महानिदेशक, रा.सं.वि.सं., मेट्रो पिलर नंबर 152, महरौली गुरुग्राम (एमजी) रोड, घिंटोरनी, नई दिल्ली - 110047 को संबोधित किए जायें अथवा nicf.moc@gov.in ईमेल पते पर भजे जायें।

किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के मामले में, श्री गदाधर रथ, उप. पाठ्यक्रम समन्वयक (मोबाइल नंबर 9437160036) से संपर्क किया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अश्वनी कुमार

(अश्वनी कुमार)
लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक के व्यक्तिगत सहायक, रा.सं.वि.सं., घिटोरनी, नई दिल्ली-110047।
2. निदेशक (प्रशिक्षण वित्त), दूरसंचार विभाग मुख्यालय, सूचनार्थ।
3. निदेशक (टीईआर), रा.सं.वि.सं., नामांकन और रा.सं.वि.सं. वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के लिए।
4. वेबिनार के संकाय।
5. कार्यालय प्रतिलिपि।